प्रेस नोट
***जनपद – संतकबीरनगर ***
दिनाँक 08.01.2026

दबिश के दौरान 16 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *01.थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस-* द्वारा 03 नफर वारण्टी नाम पता (01). शिवदास पुत्र लालसा निवासी पचपेड़वा, (02). हनुमार प्रसाद पुत्र तीजू (03). ब्रह्मदेव पुत्र हनुमान प्रसाद निवासीगण सियरा साथा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद, का0 अनिल यादव, का0 लालचन्द प्रसाद।

02-थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता भोला उर्फ राजेश्वर यादव पुत्र मंगल यादव निवासी परसादपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामदरश यादव, हे0का0 प्रमोद कुमार राय।

03-थाना महुली पुलिस द्वारा 08 नफर वारण्टी नाम पता (01) योगेन्द्र पुत्र भोरई (02).अजीत पुत्र योगेन्द्र (03).अमिताभ पुत्र योगेन्द्र निवासीगण हरिहरपुर वार्ड नं0 03 नगर पंचायत हरिहरपुर (04).रमेश शर्मा पुत्र तीर्थराज शर्मा (05).संजय शर्मा पुत्र तीर्थराज निवासीगण गौरा खुर्द (06).सोनू पुत्र रामविचारे निवासी अम्मादेई (07).राममिलन पुत्र करन निवासी टिकुईकोल बाबू (08).रामस्वरुप पुत्र दयाराम निवासी कुरसुरी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, उ0नि0 श्री देवेन्द्र तिवारी, उ0नि0 श्री सोमनाथ मिश्रा, उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, हे0का0 श्रीकान्त यादव, हे0का0 शम्स तबरेज, हे0का0 पंकज यादव, का0 विकास साहनी, का0 राजमंगल यादव, का0 छोटेलाल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

04- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता (01). शिवदास पुत्र रालौट निवासी छपिया अंगद (02). रघुनाथ पुत्र बृजलाल निवासी गंगासागर पुरवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-* उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा, उ0नि0 श्री एजाज, का0 अखण्डानन्द यादव,**

05- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता (01). राम आसरे पुत्र वेशू (02). सोमन पुत्र बिल्लर निवासीगण चिड़ापार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-* उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह, हे0का0 मनोज यादव।**

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 85 वाहनों से 96,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 08.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 85 वाहनों से 96,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- ***जनपद के समस्त थानों द्वारा 62 स्थानों पर 1602 व्यक्तियों को किया गया चेक।***
- ***991 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया।***
- ***51 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही।***
- ***88 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया।***

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 10 स्थानों पर 239 व्यक्तियों को चेक किया गया, 210 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 08 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 21 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 167 व्यक्तियों को चेक किया गया, 73 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 05 स्थानों पर 195 व्यक्तियों को चेक किया गया, 125 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 12 स्थानों पर 186 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 93 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 14 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 20 स्थानों पर 305 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 265 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 25 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 06.थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 165 व्यक्तियों को चेक किया गया, 60 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 04 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 05 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 195 व्यक्तियों को चेक किया गया, 40 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 02 स्थानों पर 75 व्यक्तियों को चेक किया गया, 55 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 75 व्यक्तियों को चेक किया गया, 70 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 05 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 53 स्थानों पर 2718 वाहनों को किया गया चेक।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 93 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 02 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 13 चार पहिया वाहनों पर शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लगे होने पर की गयी कार्यवाही।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1405 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 08.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप छेड़खानी व पाक्सो एक्ट के अपराध में एक अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 08.01.2026 को **माननीय न्यायालय एएसजे/एसपीजे/ पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर** के न्यायाधीश द्वारा 01 अभियुक्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादिनी मुकदमा द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बावत अभियुक्त रईश पुत्र मुंशी रजा के विरुद्ध वादिनी के साथ रास्ता रोककर छेड़खानी करने व अपशब्द बोलने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री बलराम पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 2841/2017 धारा 354क, 504, भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त मुहम्मद रईश पुत्र मुंशी रजा निवासी बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को धारा 504 भा0द0वि0 व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 11(i)/12 पाक्सो एक्ट में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।